

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक: प.4(72)वित्त/राजस्व/94लूज-III

दिनांक 09.04.2025

आदेश

राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी थी, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (राज्यकर्मी) हेतु प्रतिवर्ष अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है।

इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.05.2025 से 30.04.2026 तक की अवधि) के लिये उक्त योजना के अन्तर्गत दुर्घटना बीमा योजना का आवरण प्राप्त करने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नतालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है :-

श्रेणी	बीमाधन	कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती
1	10 लाख	700 /-
2	20 लाख	1400 /-
3	30 लाख	2100 /-

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माह अप्रैल देय मई, 2025 के वेतन से उपर्युक्त तालिका में उल्लेखित बीमाधन हेतु कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जायेगी।
2. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से IFMS पोर्टल/एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करायी जायेगी।
3. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल पर उपर्युक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराते हुए प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करायी जायेगी।
4. यदि कोई कार्मिक उपर्युक्तानुसार कोई भी विकल्प चयन नहीं करते हुए कोई प्रीमियम कटौती नहीं कराना चाहता है, तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उनकी प्रीमियम कटौती नहीं की जायेगी।
5. जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र की पूर्ति की जा चुकी है तथा वर्तमान में उन्हें न तो मनोनयन परिवर्तन करना है एवं न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्मिक द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिक के द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा।

6. किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किये जाने तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिये जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती एक बार ही कराई जायेगी उनके द्वारा बीमित वर्ष में अधिक बीमाधन हेतु बाद में प्रीमियम की अन्तर राशि की कटौती नहीं कराई जा सकेगी।
7. दिनांक 01.05.2025 एवं उसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिक वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनिज पर भी उक्त योजना लागू होगी तथा श्रेणी संख्या 1 से 3 में से विकल्प लेने की रिथिति में उनके प्रथम वेतन से 2025-26 हेतु देय प्रीमियम की राशि आई.आर.डी.ए. के नियमानुसार प्रोरेटा आधार पर काटी जायेगी।
8. समस्त आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी/अधिकारी के माह अप्रैल देय मई 2025 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का माह अप्रैल देय मई, 2025 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी निजी स्तर से चयनित विकल्प के अनुसार प्रीमियम राशि एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.05.2025 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेंगे।
9. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
10. इस संबंध में प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक परिपत्र जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,



(धनलाल शेरवत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री (वित्त), राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
10. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
11. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
12. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव 9/5/25